तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.113/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हु[illegible] की तामिलमें जारी हुए
25.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हितेश पुरोहित पुत्र कन्हैयालाल पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– हाईवे रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवती फूड प्रोडक्ट, हाईवे रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.2.2023 को फर्म भगवती फूड प्रोडक्ट, हाईव रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हितेश पुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द का नमूना संख्या S-2014 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./374/Act/2023/399 दिनांक 09.3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रतिवादी ने आज नियत सुनवाई तिथि 25.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है और भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति पुनः नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 23.2.2023 को फर्म भगवती फूड प्रोडक्टस, मैन रोड, सिरोडी में प्रतिवादी हितेश पुरोहित से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (दुर्गा ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ कलाकन्द के नमूना संख्या S-2[illegible] जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो र[illegible] विश्[illegible]क, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./374/Act/2023/3[illegible] [illegible] 09.3.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) [illegible] है। प्रकरण में .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.113/2023**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी हितेश पुरोहित ने खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (दुर्गा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी हितेश पुरोहित ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (दुर्गा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (दुर्गा ब्राण्ड) विक्रय हेतु प्रतिवादी हितेश पुरोहित पुत्र श्री कन्हैयालाल पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– हाईवे रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भगवती फूड प्रोडक्ट, हाईवे रोड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी हितेश पुरोहित को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.8.2023 को पेश हो।

(के.आर. खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested